

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: शुद्धि पत्र ::

संख्या-21/रा.सू.आ.-07/2013सा.प्र. 4951 पटना-15, दिनांक 5-4-16
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 3575 दिनांक 09.03.2016 द्वारा राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के एक अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के आलोक में उनके सहयोग हेतु कतिपय अन्य पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-4 में अंकित विवरणी में "स्वीकृत पदों की संख्या" कॉलम में आदेशपाल के लिए शब्द में अंकित "एक" के स्थान पर "दो" पढ़ा जाय।

स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 3575 दिनांक 09.03.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/रा.सू.आ.-07/2013सा.प्र. 4951 /पटना-15, दिनांक- 5-4-16
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/दो अतिरिक्त प्रतियों में वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/रा.सू.आ.-07/2013 सा0प्र0 4951 /पटना, दिनांक 5-4-16
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/रा.सू.आ.-07/2013 सा0प्र0 4951 /पटना, दिनांक 5-4-16
प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/2016
सरकार के संयुक्त सचिव।

①
मिडिलेरी